

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कम/कार/शा/2/2024/27/02/2024


दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर।

विषय- 9.4.27 / 2024 अवतार अहमद हुसैन पुत्र दशीर खां मुसलमान इनाम जिरेंद्र पुत्र मोतीलाल कोठारी निवासी खजूरी, मोहन नाथ पुत्र मोतिनाथ निवासी आमरगढ़, महजबाल पुत्र दीसुवाल रेमर निवासी नया गाँव जोराजी का खेड़ा, कैलाश पुत्र रमर रेमर निवासी अमरगढ़, प्रधाल कुमार पुत्र हरिहरेश्वर पारीक निवासी खजूरी, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयवस्तु उनवान के प्रकरण में ग्राम अमरगढ़ प.ह. अमरगढ़ आराजी सं. 6/3 कुल कित्त 01 रकबा 1.2960 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी काजें हेतु श्री अशिलेश निरीक्षक अमरगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मोंके पर अदा कराए, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कजें को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस। समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 दिन में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


अहमद हुसैन पुत्र बशीर खां मुसलमान
बनाम

जितेंद्र पुत्र मोतीलाल कोठारी निवासी खजूरी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 27 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अमरगढ़ प.ह. अमरगढ़ आराजी सं. 6/3 कुल किता 01 रकबा 1.2960 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ीसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम अमरगढ़ प.ह. अमरगढ़ आराजी सं. 6/3 कुल किता 01 रकबा 1.2960 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)